राधिका झा
Radhika Jha, IAS
सचिव
Secretary

Govt. of Uttarakhand

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन
Medical Health and Medical Education,
Government of Uttarakhand
4– सुभाष रोड़, देहरादून
4- Subhash Road, Dehradun
☎ (O)0135-2711474

No.28/PS/Secy-Health/2022
Date: 05-05-2022

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषयः डेंगू रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्ययोजना विषयक।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि विगत वर्षो से डेंगू रोग राज्य में एक प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि माह जुलाई से नवम्बर तक का समय डेंगू वायरस के संक्रमण के लिये अनुकूल होता है। अतः आगामी माहों में डेंगू रोग के प्रसारित होने की सम्भावना को देखते हुए डेंगू रोग रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाहियां की जानी हैः–

1. राज्य में डेंगू रोग को Notifiable Disease घोषित करने की अधिसूचना "उत्तराखण्ड महामारी (मलेरिया एवं डेगू) विनियम 2021" दिनांक 24 सितम्बर 2021 (संलग्न) को जारी की जा चुकी है जिसमें निहित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्यवाहियों का जनपद स्तर पर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। जनपद के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों/जांच केन्द्रों से डेंगू संदिग्ध एवं पृष्टिकृत रोगियों की रिर्पोटिंग सुनिश्चित की जाये। किसी भी संदिग्ध डेंगू रोगी की सूचना मिलने पर उक्त रोगी में डेंगू रोग की पुष्टि की जाये तथा समय से डेंगू रोगी के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर डेंगू रोकथाम हेतु समस्त कार्यवाहियां की जाये जिससे क्षेत्र में डेंगू संक्रमण के प्रसारण को रोका जा सके।
2. डेंगू रोग की समुचित रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य समस्त विभागों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। समस्त विभागों द्वारा डेंगू रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां समयान्तर्गत की जायें ताकि डेंगू के मच्छर को पनपने से रोका जा सकें और इसकी सूचना जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरन्तर प्राप्त की जाये। डेंगू रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विभागवार उत्तरदायित्व पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं।
3. डेंगू रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों जैसे नगर निगम, शिक्षा विभाग, ग्राम्य एवं शहरी विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लोक निर्माण, जल संस्थान, जल निगम आदि के सहयोग व अंतर्विभागीय समन्वय हेतु जनपद स्तर पर बैठकों का समय से आयोजन किया जाए व डेंगू नियन्त्रण में सभी विभागों द्वारा समन्वय से कार्यवाही की जाये।
4. डेंगू रोग की समुचित रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु ब्लाक स्तरीय माइक्रोप्लान तैयार कर समयार्न्तगत समस्त कार्यवाहियां करना सुनिश्चित करें।
5. शहरी एवं ग्राम्य विकास विभाग/नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं द्वारा निरन्तर स्वच्छता अभियान चलाये जायें ताकि डेंगू रोग के मच्छरों को पनपने से रोका जा सके।

6. डेंगू रोग पर नियंत्रण हेतु लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) एक कारगर व उपयुक्त उपाय है, जिसके लिए नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम/नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के सहयोग से स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य विभागों से समन्वय में टीमें बनाकर क्षेत्र में डेंगू निरोधात्मक कार्यवाही की जाये। प्रमुखतः ऐसे स्थानों को नष्ट करना, जहॉ डेंगू का लार्वा पनप सकता है एवं इस कार्य में क्षेत्र के आवासीय लोगों को जागरूक किया जाये कि वह स्वतः ही अपने घर व आस–पास डेंगू मच्छर के लार्वा को पनपने से रोक सकें। इस कार्य में वार्ड पार्षदों, ग्राम प्रधानों एवं जन प्रतिनिधियों का सहयोग भी प्राप्त किया जाये।
7. डेंगू रोग को महामारी का रूप लेने से रोकने के लिए नगर निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा माइक्रोप्लान बनाकर व्यवस्थित तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार फॉगिग निरन्तर की जाये। किसी क्षेत्र में डेंगू रोग से ग्रसित रोगियों की सूचना प्राप्त होने पर उस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुये फॉगिंग की जाये ताकि डेंगू रोग से होने वाली किसी भी असामान्य स्थिति को रोका जा सके।
8. डेंगू रोग को रोकने के लिये जन सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। जनसहभागिता बढाने के लिये वृहद्व स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जाये। विभिन्न माध्यमों से लोगों को डेंगू रोग के मच्छरों के पनपने से रोकने के तरीके व मच्छरों के काटने से बचाव के तरीकों पर जनजागरूकता की जाये, डेंगू के लक्षणों की समय से पहचान किये जाने हेतु जनजागरूकता की जाये ताकि संक्रमित रोगी समय से चिकित्सकीय परामर्श ले सके व किसी भी प्रकार की जान की हानि को रोका जा सके।
9. डेंगू के उपचार एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश "National Guidelines for Clinical Management of Dengue fever" (संलग्न) को समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालायों/चिकित्सकों के पास उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि सभी डेंगू रोगियों को मानक उपचार प्रदान किया जा सके।
10. चिकित्सालयों में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही जैसे पृथक डेंगू आईसोलेशन वार्ड तैयार कर मच्छरदानी युक्त पर्याप्त बेड की उपलब्धता, मानक उपचार सुविधा आदि सुनिश्चित करें एवं डेंगू आइसोलेशन वार्ड के लिए नोडल अधिकारी नामित करें।
11. डेंगू रोगियों के समुचित प्रबन्धन हेतु अपने जनपद में चिकित्सा केन्द्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य मानव संसाधन जैसे चिकित्सक, नर्स आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रखें।
12. डेंगू पीडित गम्भीर रोगियों (DHF/DSS) हेतु Platelets की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
13. डेंगू जांच केन्द्रो मे समय से आवश्यक सामग्री जैसे ELISA जांच किट व अन्य जांच सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जये।
14. डेंगू रोगियों की शुरूआती चरण मे पहचान हेतु फीवर सर्वे किये जायें, लक्षणों के आधार पर डेंगू रोग की संदिग्धता होने पर जांच की जाये।
15. डेंगू रोगी पाये जाने की स्थिति में रोगी के घर के आस–पास लगभग 50 घरों की परिधि में आवश्यक रूप से Space/Focal Spray कराने के साथ साथ जनपदीय आर0आर0टी0 द्वारा क्षेत्र में सघन फीवर सर्विलेन्स एवं लार्वा निरोधात्मक कार्यवाहियां (सोर्स रिडक्शन) कराएँ।
16. डेंगू रोग प्रमुखतः मैदानी क्षेत्रों में प्रसारित होता है किन्तु जलवायु परिवर्तन एवं मानव जीवन में रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन के कारण पहाडी क्षेत्रों में भी डेंगू रोग के फैलने की सम्भावना हो सकती है। अतः समस्त पर्वतीय जनपद भी पूरी सतर्कता बरतते हुये डेंगू रोग को फैलने से रोकने के लिये समस्त कार्यवाहियां अनिवार्य रूप से करें।
17. इसी प्रकार डेंगू रोग के अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलने की सम्भावना के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त तैयारियां पूर्ण रखी जाये ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू रोग द्वारा कोई असामान्य स्थिति न पैदा हो सके।
18. स्वास्थ्य विभाग व आई0एम0ए0 प्रतिनिधियों/निजी चिकित्सालयों/पैथोलोजी लैबों के मध्य समन्वय बैठक (CME Meeting/Workshop) की जाये।

19. किसी भी प्रकार की आकस्मिक/आपातकालीन आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद स्तर पर जिला कार्ययोजना मे भी डेंगू के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाये।
20. मीडिया को डेंगू सम्बन्धित संवेदनशील सूचनायें व सकारात्मक जानकारी सम्बोधित करने हेतु जनपद स्तर पर किसी एक अधिकारी को Media Spokes person अधिकृत किया जाए।
21. जनमानस को डेंगू सम्बन्धित जागरूकता एवं समुचित जानकारी प्रदान करने के लिये राज्य मुख्यालय पर Integrated Helpline क्रियाशील है जिसका टोल फ्री नं० 104 है।
22. डेंगू की दैनिक रिर्पोट (केस शून्य होने पर भी) पर सायं ८:00 बजे तक नियमित रूप से राज्य स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्तानुसार समयबद्ध कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोपरि।

(राधिका झा)

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सचिव गृह/ग्राम्य एवं शहरी विकास विभाग/सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग/परिवहन विभाग/पंचायती राज विभाग जल संस्थान/शिक्षा विभाग/जल निगम/सिंचाई विभाग/कृषि विभाग/पर्यटन विभाग/महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊ मण्डल।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
7. प्रभारी अधिकारी, एन0वी0बी0डी0सी0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)